तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1765/2006/भीलवाडा बरदीचन्द बनाम बंशीलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित
श्री योगेन्द्रसिंह, अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री जे.के. पारीक, अधिवक्ता, अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 02.08.2018

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत अपर जिला कलक्टर, भीलवाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13–02–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी ने तहसीलदार, जहाजपुर के समक्ष प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि उसकी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 209, 210, 211 व 251 पर आने जाने हेतु रास्ता हाल खसरा नम्बर 212 व 241 के मध्य मेड पर स्थित है, जिसे प्रार्थी ने कांटों की बाड लगाकर अवरूद्ध कर दिया है। अतः बन्द रास्ते को खुलवाया जावे। तहसीलदार द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब करने के उपरान्त बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 11–08–2005 से पक्षकारों की सहमति अनुसार ग्राम जहाजपुर की आराजी खसरा नम्बर 212 रकबा 02बीघा 15बिस्वा की पश्चिम मेड पर एक गट्टा रास्ता दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः पटवारी हल्का से ग्राम जहाजपुरा की आराजी खसरान म्बर 212 रकबा 02बीघा 15बिस्वा की पश्चिमी मेड पर एक गट्टा रास्ता कायमी बाबत् प्रस्ताव तैयार कर रास्ता कायमी हेतु उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुरा को प्रेषित किये जाने के आदेश पारित

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1765/2006/भीलवाडा बरदीचन्द बनाम बंशीलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

किये। तहसीलदार द्वारा पारित इस निर्णय के विरूद्ध प्रार्थी ने अपर जिला कलक्टर, भीलवाडा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 13–06–2006 से खारिज कर दी। इसी निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अप्रार्थी ने खसरा नम्बर 212 व 241 के खातेदारों को रास्ते के प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया जबकि वे विवादित आराजी के सहखातेदार होने से आवश्यक पक्षकार थे किन्तु तहसीलदार द्वारा प्रार्थी की उक्त आपत्ति पर कोई विवेचन नहीं किया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनः तहसीलदार को प्रतिप्रेषित कर देना चाहिए था। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने विवादित आराजी के सभी खातेदारों को पक्षकार बनाये बिना निगराधीन निर्णय पारित किये गये है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अप्रार्थी ने खसरा नम्बर 212 व 214 के मध्य मेड से रास्ता चाहा जबकि तहसीलदार ने खसरा नम्बर 212 की पश्चिमी दिशा से रास्ता कायम करने का आदेश पारित कर दिया। उनका कथन है कि तहसीलदार को प्रार्थनापत्र में वर्णित कथनों से परे जाकर आदेश पारित किया है, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। उनका कथन है कि धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नया रास्ता खोलने व राजस्व रिकार्ड में तरमीम या इस आशय के निर्देश देने का क्षेत्राधिकार तहसीलदार को नहीं है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1765/2006/भीलवाडा बरदीचन्द बनाम बंशीलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए निगराधीन निर्णय पारित किये गये है, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय को निरस्त किया जावे तथा अप्रार्थी द्वारा रास्ते बाबत् प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को निरस्त किया जावे।

योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। उनका कथन है कि उनकी भूमि में आवागमन हेतु जाने वाले रास्ता को प्रार्थी द्वारा बन्द कर दिया तथा अप्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि में जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए निगराधीन निर्णय पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई तात्विक अनियमितता अथवा अवैधानिकता नहीं होने से पारित निर्णय में निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली एवं पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी ने तहसीलदार, जहाजपुर के समक्ष प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि उसकी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 209, 210, 211 व 251 पर आने जाने हेतु रास्ता हाल खसरा नम्ब्र 212 व 241 के मध्य मेड पर स्थित है, जिसे प्रार्थी ने कांटों की बाड लगाकर अवरूद्ध कर दिया है। अतः

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1765/2006/भीलवाडा बरदीचन्द बनाम बंशीलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बन्द रास्ते को खुलवाया जावे। तहसीलदार की पत्रावली में उपलब्ध मौका रिपोर्ट दिनांक 28–6–2005 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार स्वयं ने हल्का पटवारी के साथ विवादित आराजी का स्थल निरीक्षण करने के उपरान्त रास्ता कायमी हेतु प्रकरण उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित किये जाने का आदेश पारित किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी दोनों के हस्ताक्षर लिये गये है तथा उनके द्वारा पक्षकारान की सहमति के आधार पर निर्णय दिनांक 11–08–2005 पारित किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। जहां तक अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा उठाई गयी अन्य आपत्तियों का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर द्वारा पारित निर्णय में उक्त आपत्तियों बाबत् विस्तृत रूप से विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए निगराधीन निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त आपत्तियों बाबत् पुनः विवेचन एवं विश्लेषण किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए निगराधीन विधिसम्मत् निर्णय पारित किये गये है, जिनमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी हमारे समक्ष ऐसा कोई नवीन तथ्य अथ्वा ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके है, जिससे अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय को विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होना माना जा सकें। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निगराधीन निर्णयों में निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1765/2006/भीलवाडा बरदीचन्द बनाम बंशीलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निगराधीन निर्णयों को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहन लाल नेहरा)** **सदस्य**	